नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस एक्ट 1985)

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

1. नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस एक्ट) क्या है?

भारत में नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने, बनाने को लेकर एक कानून है। इसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985। इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारतीय संसद में 1985 में पारित किया।

2. शब्द "नारकोटिक्स" और "साइकोट्रोपिक" से क्या अभिप्राय है?

"नारकोटिक्स" का अर्थ नींद से है और "साइकोट्रोपिक" का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क कि क्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं।

3. मादक द्रव्य से क्या अभिप्राय है?

मादक द्रव्य वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके सेवन से नशे का अनुभव होता है तथा लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बन जाता है।

हमारे समाज में कई प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रचलन है जैसे– शराब, विस्कि, रम, बीयर, महुआ, हंड़िया आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त वैध पदार्थ हैं। अनेक अवैध पदार्थ भी काफी प्रचलित हैं जैसे– भाँग, गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन सुगर, चिट्टा तथा कोकिन आदि।

4. नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस एक्ट) क्यों पारित किया गया?

कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे है जिनका उत्पादन और विक्रय जरूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। उन पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध होता है और रेगुलेशन है, क्योंकि ये पदार्थ अत्याधिक मात्रा में उपयोग में लाने से नशे में प्रयोग होने लगते हैं, जो मानव समाज के लिए बहुत बड़ी त्रासदी सिद्ध हो सकती है। ऐसी त्रासदी से बचने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा इस तरह के अधिनियम बनाए गए हैं।

5. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किन–किन दवाओं पर प्रतिबंध है?

एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी होती है। यह लिस्ट केंद्र सरकार जारी करती है। उस अनुसूची में केंद्रीय सरकार उन ड्रग्स को सम्मलित करती है जो नशे में प्रयोग होकर मानव जीवन के लिए संकट हो सकते है। इन ड्रग्स का उपयोग जीवन बचाने हेतु दवाई और अन्य स्थानों पर होता है, परन्तु इनका अत्यधिक सेवन नशे में प्रयुक्त होता है, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता परन्तु इनका नियमन अवश्य किया जा सकता है। कोका प्लांट्स, कैनाबिस, ओपियम पॉपी जैसे पौधे इसमे सम्मिलित किए गए हैं।

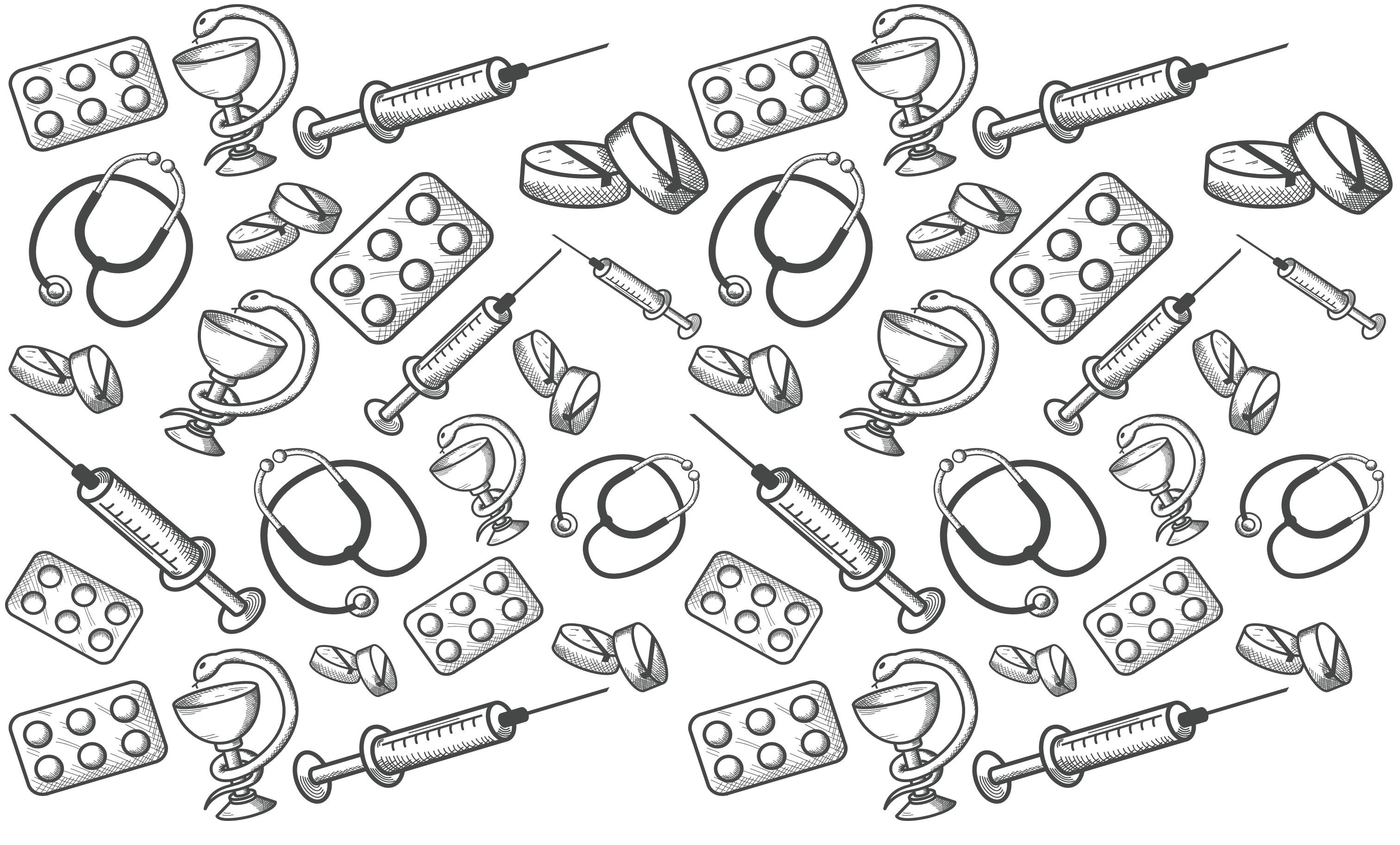

6. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थ की मात्रा का क्या महत्व है?

मात्रा का महत्व इस अधिनियम में मात्रा के द्वारा ही दंड का प्रावधान किया गया है। मात्रा को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमे,अल्पमात्रा और वाणिज्यिक और इन दोनों के बीच की मात्रा है। दंड भी इन तीन स्तरों पर ही होगा :–

1. **अल्पमात्रा** के लिए एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो दस हजार तक का हो सकेगा।
2. **अल्पमात्रा और वाणिजियक मात्रा** के बीच की मात्रा के लिए दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो एक लाख तक का हो सकेगा।
3. **वाणिज्यिक मात्रा** में बीस वर्ष तक का कारावास और कम से कम एक लाख तक का जुर्माना जो दो लाख तक का हो सकता है।

7. मात्रा का निर्धारण कौन करता है?

मात्रा का निर्धारण समय समय पर केंद्र द्वारा किया जाता है। यहां अगर भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर व्यक्ति के पास यदि एक ग्राम भी अफीम इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम या दिए आदेश के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के बगैर पायी जाती है तो भी वह दोषी होगा। ऐसे मामले में वह अल्पमात्रा का दोषी माना जाएगा। इन पदार्थों और ड्रग्स का लगभग हर रूप प्रतिबंधित किया गया है और शास्ति रखी गयी है– अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में डाले गए पदार्थो का निर्माण, मैन्यूफेक्चरिंग, कृषि, प्रकिया, क्रय, विक्रय, संग्रह, आयात, निर्यात, परिवहन और यहां तक उपभोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ उपभोग पर भी दंड रखा गया है।

8. क्या इस अधिनियम में मृत्युदंड तक का प्रावधान है?

इस अधिनियम में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 31A के अंतर्गत एक बार सिद्धदोष ठहराए जाने के बाद पुनः उस तरह का अपराध किया जाता है तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का प्रयास, तैयारी, उत्प्रेरणा, षड़यंत्र, उपभोग और फाइनेंस को भी अपराध बनाया गया है। इन सभी के लिए वही दंड है जो इन अपराधों के लिए दंड रखा गया है।

9. इस अधिनियम के अंतर्गत किन प्रमुख पौधों की बिजाइ प्रतिबंधित है?

अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रमुख पौधे हैं, जिनकी खेती, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रह, क्रय, विक्रय, उत्पादन, कब्जा और उपभोग अनुज्ञप्ति और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के बगैर दंडनीय है।

कोका का पौधा– इस पौधे से मुख्यता कोकेन प्राप्त की जाती है। कोकेन अत्यधिक नशीली होती है।

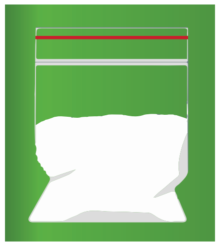

कैनाबिस का पौधा– इसे सामान्यता भांग का पौधा भी कहा जाता है। इस ही पौधे की फूल,पत्तियों और तने को सुखाकर गांजा बनाया जाता है। भांग केवल पत्तियों से तैयार हो जाती है। इस पौधे की मादा प्रजाति से एक गोंद जैसा द्रव निकलता है जिससे चरस बनती है।

पोस्त का पौधा– इसे अफीम के पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियां नशीली नहीं होती है। इसका एक फल होता है जिसे डोडा कहा जाता है। डोडा पर चाकू मारने से दूध जैसा द्रव निकलता है जो सूखने पर अफीम बनता है।

10. विशेष न्यायालय क्या है?

इस अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत मामले विचारित किये जाते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य नशे के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाना है।

11. एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी की प्रक्रिया क्या है?

इस अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रकार की तलाशी प्रभाषित की गयी हैः–

- भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान की तलाशी ।
- वाहन की तलाशी ।
- लोक स्थान या अभिवहन में तलाशी।

तलाशी की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 42, 43 और 50 में दी गयी है जो इस प्रकार हैः–

क्र0 स0	धारा 42	धारा 43 और 50
1.	यह किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न जगह की प्रविष्टि और खोज के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।	यह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन के दौरान की गई खोज और जब्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
2.	यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी इमारत, संलग्न जगह या वाहन की तत्काल खोज की आवश्यकता होती है, तो यह वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं करने के कारणों को दर्ज करने के बाद किया जा सकता है।	यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक वाहन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की खोज के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
3.	धारा 42 के अंतर्गत अधिकारी अपने श्रेष्ठ अधिकारी को लिखित रूप में इस तरह की गुप्त सूचना भेजने के बाद ही ऐसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में प्रवेश और खोज कर सकता है।	धारा 50 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की खोज का संचालन करने वाला अधिकारी खोज पूरा होने के बाद अपने श्रेष्ठ अधिकारी को सूचना भेजेगा।
4.	यह एक निजी वाहन जैसे निजी कार, स्कूटर आदि की खोज की परिकल्पना करता है, जो जनता के लिए सुलभ नहीं है।	इसमें सार्वजनिक वाहन या निजी वाहन की तलाश की जा रही है, जैसे कि निजी बस, ऑटो रिक्शा आदि।

12. NDPS अधिनियम में प्रक्रियात्मक सुरक्षा के क्या उपाय हैं?

NDPS अधिनियम में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

व्यक्तिगत तलाशी: खोजे जा रहे किसी भी व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट (धारा 50) से समक्ष तलाशी देने का अधिकार है। व्यक्ति की तलाशी लेने वाले अधिकारी को उस व्यक्ति को यह समझाना होगा कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी देने का अधिकार है और यदि व्यक्ति किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देना चाहता है तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी के लिए ले जाना चाहिए। हालांकि, यदि तलाशी लेने वाले अधिकारी को यह विश्वास है कि उस व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो उस व्यक्ति की तलाशी धारा 100 सीआर–पी–सी के अंतर्गत ली जा सकती है [धारा 50 (5) और 50 (6)]

अन्य तलाशी: NDPS ACT की धारा 41 के अनुसार, विभागों के राजपत्रित अधिकारी तलाशी को अधिकृत कर सकता है। ऐसी तलाशी का प्राधिकरण लिखित रूप में दी गई जानकारी पर आधारित होना चाहिए। धारा 42 के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट (मैजिस्ट्रेट द्वारा) या राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त प्राधिकरण के अंतर्गत तलाशी ली जा सकती है। ऐसी तलाशी के मामले में, अधिकारी को लिखित रूप से सूचना की प्रति को 72 घंटे के भीतर अपने श्रेष्ठ अधिकारी को भेजना होता है।

गिरफ्तारी: गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार सूचित किया जाना चाहिए, [धारा 52 (1)]। यदि गिरफ्तारी या जब्ती मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट पर आधारित है, तो उस व्यक्ति या जब्त किए गए सामान को मजिस्ट्रेट [धारा 52 (2)] के समक्ष पेश करना चाहिए।

जो अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे 48 घंटे के भीतर अपने श्रेष्ठ अधिकारी को पूरी रिपोर्ट देनी होती है [धारा 57]।

संदिग्ध महिला की तलाशी: "एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 (4) में यह प्रावधान है कि अगर महिला की तलाशी ली जानी है तो वह महिला पुलिस कर्मी द्वारा ही ली जाएगी। तलाशी लेते समय महिला की गरिमा तथा निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। महिला की तलाशी किसी भी पुरुष कर्मी की उपस्थिती मे नहीं ली जाएगी।

13. नशीली दवा और मादक अपराध अधिनियम में क्या क्या प्रतिरक्षा हैं?

अधिकारी: अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारी सद्भाव (Good Faith) में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं और किसी भी मुकदमें, अभियोजन और अन्य कानूनी

कार्यवाही से प्रतिरक्षा रखते हैं। (धारा 69)

नशे का आदि व्यक्ति: नशीली दवाओं की खपत (धारा 27) के साथ या छोटी मात्रा में अपराधों के आरोप में नशे का आदि व्यक्ति अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा करेंगे यदि वे नशामुक्ति के लिए वालंटियर करें। यदि नशे का आदि व्यक्ति पूरी तरह से उपचार नहीं करवाता है तो यह प्रतिरक्षा वापस ले ली जा सकती है। (धारा 64 ए)

अपराधी: केंद्र या राज्य सरकारें मामले में अपने साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अपराधी को प्रतिरक्षा निविदा दे सकती हैं। यह प्रतिरक्षा सरकार द्वारा दी जाती है, न कि न्यायालय (धारा 64) द्वारा।

किशोर अपराधी: किशोर अपराधी (18 वर्ष से कम आयु) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2018 द्वारा नियंत्रित होंगे।

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

बिलासपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001
Tel: **01978-221452** e-mail: **secy-dlsa-bil-hp@gov.in**

चंबा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176310
Tel: **01899-226309,** e-mail: **secy-dlsa-cha-hp@gov.in**

हमीरपुर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001
Tel- **01972-224399,** e-mail: **secy-dlsa-ham-hp@gov.in**

कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश–176215
Tel- **01892-222370**, e-mail: **secy-dlsa-kan-hp@gov.in**

किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ, हिमाचल प्रदेश–172001

Tel- **01786-223605,** e-mail: **secy-dlsa-kin-hp@gov.in**

कुल्लू

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

कुल्लू और लाहौल जिला, हिमाचल प्रदेश–175101

Tel- **01902-222378,** e-mail: **secy-dlsa-kul-hp@gov.in**

मंडी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

मंडी, हिमाचल प्रदेश–175001

Tel- **01905-223428,** e-mail: **secy-dlsa-man-hp@gov.in**

शिमला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

शिमला, हिमाचल प्रदेश–171005

Tel- **0177-2832808,** e-mail: **secy-dlsa-shi-hp@gov.in**

सिरमौर स्तिथ नाहन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

सिरमौर स्तिथ नाहन, हिमाचल प्रदेश–173001

Tel- **01702-224749,** e-mail: **secy-dlsa-sir-hp@gov.in**

सोलन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

सोलन, हिमाचल प्रदेश–173212

Tel- **01792-220713,** e-mail: **secy-dlsa-sol-hp@gov.in**

ऊना

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303
Tel- **01975-225071,** e-mail: **secy-dlsa-una-hp@gov.in**

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नंबर 22, एस.डी.ए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009

e-mail: mslegal-hp@nic.in
दूरभाष: 0177–2623862
फैक्स: 0177–2626962
टोल फ्री: 15100

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL